न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 104 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1 मांगसिंह पुत्र देरामसिंह 2 बाबूसिंह पुत्र देरामसिंह 3 भवरसिंह पुत्र देरामसिंह 4 नारायणसिंह पुत्र गुणेशसिंह 5 मानसिंह पुत्र गुणेशसिंह 6 ओमसिंह पुत्र गुणेशसिंह जाति पुरोहित निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी		1 आदुराम पुत्र राजुराम 2 दानाराम पुत्र राजुराम 3 कालूराम पुत्र सोनाराम 4 चंदाराम पुत्र सोनाराम 5 किशनाराम पुत्र सोनाराम 6 दामाराम पुत्र विरमाराम 7 राउराम पुत्र विरमाराम 8 बाबूराम पुत्र विरमाराम 9 भगाराम पुत्र विरमाराम 10 मोहनराम पुत्र विरमाराम 11 पारू पत्नी विरमाराम 12 उकाराम पुत्र जोधाराम 13 कवराराम पुत्र कानाराम 14 पुजाराम पुत्र कानाराम 15 अमराराम पुत्र कानाराम 16 पाबूराम पुत्र कानाराम 17 बाबूलाल पुत्र कानाराम 18 दूदाराम पुत्र उर्जाराम 19 टीकमाराम पुत्र मगाराम 20 बीजाराम पुत्र मगाराम 21 पेम्पों देवी पत्नी मगाराम 22 चुनी देवी पत्नी मोडाराम 23 ताजाराम पुत्र अणदाराम 24 सवाराम पुत्र अणदाराम 25. चुतराराम पुत्र अणदाराम 26 राणाराम पुत्र कालुराम 27 टमाराम पुत्र कालुराम विप्राथी [illegible] 26 व 27 नाबालिग की वालिया [illegible] वलिया माता विप्राथी संख्या 28 सुआदेवी 28 सुआ[illegible] पत्नि कालूराम [illegible] मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 29 शाखा प्रबन्धक एस.बी. बी.जे शाखा सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

30 तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.श्री दलाराम चौधरी ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 13 व 15 से 23 की ओर से

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक–21.01.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138–08 बीघा ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 28 की खसरा संख्या 88 रकबा 68–14 बीघा व खसरा संख्या 86 रकबा 16–06 बीघा भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 28 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 28 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 28 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 88 व 86 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त [illegible] मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत [illegible]

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण [illegible] तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या [illegible] से 13 व 15 से 23 की ओर से अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी व 24 से 29 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.04 14:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट दो बार तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की थी.कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 138.08 बीघा ग्राम गादेसरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी स.1 से 28 की खसरा संख्या 88 व 86 भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी स.1 से 28 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रासते से होकर गुजरना पडता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने मे समस्या हो जाती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 28 कदीमी रास्ते से चलनें से रोकटोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रासते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा दो बार मौका जांच की गई और दोनो ही बार मौका रिर्पोट में प्रार्थी को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 28 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.इसके विपरीत वकील विप्राथीगण की बहस थी। कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। विप्रार्थी जो गरीब किसान है,उसको केवलमात्र परेशान करने की नियत एवं रंजिशवंश विप्रार्थी के खेत में बीचो बीच रास्ता निकालने के लिए आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्यो में निहित नहीं है, आगे ओर कथन किया था,कि 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता निकालनें के लिए जो तथ्य एवं तर्क निहित होने चाहिए। जो प्रार्थी के आवेदन पत्र में निहित नहीं है। इस कारण [illegible] आवेदन खारिज योग्य है। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट भी [illegible] मौका रिर्पोट बनाते समय विप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही विप्रार्थी को सूचित किया गया है। प्रस्तावित मौका रिर्पोट में रास्ता विप्रार्थी के खेत में बीचो बीच प्रस्तावित किया गया है। यदि विप्रार्थी के खेत के बीच में रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो विप्रार्थी के खेत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.04 14:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दो टुकडे जो जायेगे। जिसके कारण विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त बहस को मददेनजर रखतें हुए प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा गादेसरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 82 से होकर मुख्य सडक तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 88 व 86 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिर्पोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2021 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 34/17.09.2021 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा गादेसरा की खसरा संख्या 82 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 86 व 88 में से होकर गुजरना पडता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। विप्रार्थी संख्या 01 से 13 व 15 से 23 द्वारा प्रथम मौका रिर्पोर्ट पर आपति पेश की गई कि प्रथम मौका रिर्पोर्ट में प्रस्तावित रास्तें पर विप्रार्थी की रहवासी ढाणी,पानी के टांके व बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त आपर्ति पेश किए जाने पर न्यायालय द्वारा पत्रांक 118 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा दुबारा मौका मुआयना करने के तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में दुबारा मौका मुआयना करते हुए जांच रिर्पोर्ट अपने पत्र कमांक 1886/28.11.2022 के द्वारा पेश की गई। रिर्पोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के संबध में प्रथम मौका रिर्पोर्ट कार्यालय के पत्र कमांक 34/17.09.2021 के द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते की भूमि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ठ अनुसार ही प्रस्तावित की है इस कारण तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रथम मौका जांच रिर्पोर्ट में उतर से दक्षिण की ओर से रास्ता प्रस्तावित किया गया था,लेकिन प्रथम मौका रिर्पोर्ट भेजने के बाद विप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्तें पर टांका व रहवासी ढाणी का निर्माण करने के कारण प्रस्तावित रास्ता दुबारा पूर्व से दक्षिण [illegible] की ओर से प्रस्तावित किया है। विप्रार्थीगण को अपनी ओर से जवाब पेश करने [illegible] अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया परन्तु मौका रिपोर्ट पुनः तलब किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। विप्रार्थी सं. 1 से 13 व 15 से 23 के आपत्ति पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 24 से 29 के वकील की ओर से भी अपनी ओर से जवाब पेश नही कर मात्र मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी के खेत के किनारे–किनारे रास्ते की मांग की है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

परन्तु तहसीलदार द्वारा पुन: प्रसतुत मौका रिपोर्ट के उनके खातेदारी के खेत के बीच मे से रास्ता प्रस्तावित किया है, जिससे कि उनके खेत के दो टूकडो हो जायेगें तथा उनके हितो का कुठाराघात होगा, लिहाजा प्रस्तावित खेत के किनारे से मौका रिपोर्ट पुन: तलब की जावे। इस संबंध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त दोनो मौका जांच रिपोर्ट का परस्पर अद्यतन एवं मिलान किया गया। मिलान अनुसार पाया गया कि राजस्व मण्डल राज.अजमेर के पत्र कमांक रा.म. / न्याय / स्था / प. 51 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार कम दूरी का युक्तियुक्त कटाण रास्ता देय के प्रस्ताव पक्षकार को जरिये इत्लावा के चाहे जाने पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी पुन: प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.11.2022 मे खसरा नम्बर 86 व 88 में बिन्दु सं. C से D ही रास्ता को ही प्रस्तावित किया गया है और स्पष्ट अंकन किया है,कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी में विकल्प नहीं है,और प्रस्तावित रास्ते पर वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है। (परन्तु यदि वर्तमान में मौका रिपोर्ट के पश्चात् प्रस्तावित स्थल को बाधित करने हेतु ऐसा कोई निर्माण अथवा कृत्य कारित किया गया हो, तो बेदखली की जा सकती है) इस प्रकार प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। क्योकि 251 ए आर.टी.एक्ट की मंशा है,कि किसी काश्तकारों को अपने खेत से होकर सरकारी कटाण मार्ग तक पहुचनें के लिए यदि रास्ता उपलब्ध नहीं है,तो रास्ता दिया जाना चाहिए। जो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। और प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए अंतिम विकल्प है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 88 रकबा 11.1157 हैक्टयर में लम्बाई 99 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0594 तथा खसरा संख्या 86 रकबा 2.6373 हैक्टयर में लम्बाई 39 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0234 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–214938 / –प्रति बीधा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 88 रकबा 11.1157 [illegible] लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0594 तथा खसरा संख्या 86 रकबा [illegible]373 [illegible] में लम्बाई 39 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0234 हैक्टयर सकल [illegible] 0.0828 हैक्टयर का राशि–35600 / –अक्षरे पैंतीस हजार छः सौ रूपयें मात्र का [illegible]तान किया जाना **है**। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की अपरिहार्य आवश्यकता है। और उक्त रासते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:19 IST
Reason: SelfAttested